न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 64/2016 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2016/00109

उनवान

1. आनन्दी वेवा डोंगर सिंह
2. दाऊदयाल
3. तारा सिंह
4. मुन्नालाल
5. हरी सिंह
6. राजहंस
7. श्री किशन

पिसरान डोंगर सिंह कौम ठाकुर निवासी गॉव बाजना तह0 राजाखेडा जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. पूरन सिंह
2. खजान सिंह
3. सुभाष

पि0 नत्थी

4. शान्ती वेवा गुमान सिंह
5. सोनू
6. नेहना
7. प्रमोद
8. रामप्रकाश
9. मौनू

पि0 गुमान सिंह

10. सरस्वती पत्नी रामसहाय
11. पप्पू पुत्र रामसहाय
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जी राजाखेडा।

कौम कुम्हार निवासीगण गॉव बाजना तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधि0 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा क्रमशः दिनांक 05.07.2012, 05.07.2016 मि. नं. 81/2012 उनवानी आनन्दी बनाम रामकटोरी।

अभिभाषकण :–

1. वकील अपीलांट श्री शीतल प्रसाद जैन उपस्थित।
2. वकील रैस्पोडेण्ट श्री विनोद कुमार भार्गव उपस्थित।

निर्णय दिनांक–12.09.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा के निर्णय व डिक्री दिनांक क्रमशः 05.07.2012 एवं 05.07.2016 के विरूद्ध पेश की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट/वादीगण ने एक दावा विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित आराजी खसरा नम्बर 1188 रकवा 05 बीघा 03 विस्वा वाके ग्राम बाजना अपीलाण्ट/वादीगण के खास बडे बाबा लालाराम, दीपचन्द पिसरान बेनीराम की खातेदारी एवं काश्त व वास्तविक कब्जे की आराजी थी। अपीलाण्ट/वादीगण के खास बडे बाबा दीपचन्द शारीरिक रूप से कमजोर व अधिक अवस्था के एवं अविवाहित थे इसलिए वह अपीलाण्ट/वादीगण के पिता डोंगर सिंह के साथ रहकर विवादित आराजी को काश्त करते थे एवं अपीलाण्ट/वादीगण के पिता डोंगर सिंह ही लालाराम व दीपचन्द की हर प्रकार से सेवा खिदमत करते थे। जिससे खुश होकर उन्होनें विवादित आराजी हमेशा–हमेशा को सौंप कर विवादित आराजी का मालिक व वारिस घोषित करा दिया, तभी से अपीलाण्ट/वादीगण विवादित आराजी पर अपने जीवनकाल से काश्त करते चले आ रहे हैं। विवादित आराजी से रैंस्पो0/प्रतिवादीगण का कोई संबंध सरोकार नहीं है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने एवं प्रतिवादीगण/रैस्पो0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/वादीगण ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए बहस में तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन आदेश व डिक्री कानून व रिकार्ड के खिलाफ हैं व काबिल निरस्तनीय हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों का दुरूपयोग करते हुये, बिना पक्षकारो को सूचना व सुनवाई का अवसर दिये, पूर्व से नियत तारीख पेशी दिनांक 11.07.2016 से पूर्व ही दिनांक 05.07.2016 को, अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग करते हुये, प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर, अपीलाधीन आदेश से अपीलाण्ट/वादीगण का वाद खारिज कर दिया। जबकि प्रकरण में प्रार्थना पत्र 022 नियम 04 सीपीसी पर बहस होनी थी। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में कोई तनकीयात कायम नहीं की, जबकि दावे एवं जवाब दावा के आधार पर प्रकरण में तनकीयात कायम करनी अपेक्षित थी। विवादित आराजी के पूर्व में लालाराम व दीपचन्द खातेदार काश्तकार रहे हैं जो अपीलाण्ट के खास बडे बाबा हैं। रैस्पो0 ने विवादित आराजी भू प्रबन्ध विभाग से साज कर अपने नाम करवा ली है, जबकि भू प्रबन्ध विभाग को अंकन बदलने का कोई अधिकार नहीं था। वर्तमान में रैस्पो0 का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त है। अतः अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाकर, अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित आराजीयात से अपीलाण्ट का कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं ना ही उनका विवादित आराजी पर कब्जा काश्त है। विवादित आराजी के पूर्व खातेदार काश्कतार ने रैस्पो0 को विवादित आराजी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमेशा–हमेशा के लिए काश्त पर दी थी। अपीलाण्ट का उनका कोई पारिवारिक संबंध नहीं है। रैस्पो0 विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यो की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट विवादित भूमि के पूर्व खातेदार लालाराम को स्वयं के खास बडे बाबा होने एवं उनके द्वारा विवादित आराजी को स्वयं के पिता डोंगर के पक्ष में रजिस्टर्ड वयनामा से विक्रय करना बताते हुए दावा कर रहे हैं। रैस्पो0 इसको चुनौती देते हुए, विवादित आराजी को पूर्व खातेदारो से हमेशा–हमेशा के लिए काश्त पर लेना कथन करते हैं। हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2018–21 के कॉलम संख्या 5 ''नाम कृषक'' में विवादित आराजी पर लालाराम व दीपचन्द पिसरान बैनीराम कौम राजपूत साकिन देह वहिस्सा बराबर खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं एवं मिसल बन्दोबस्त संवत 2022 में विवादित आराजी रैस्पो0 के पूर्व पुरूष नत्थी, रामसहाय पिसरान हरना कौम कुम्हार साकिन देह हिस्सा बराबर के नाम दर्ज हो गयी। विवादित आराजी के पूर्व खातेदारो की जाति ठाकुर है, जबकि रैस्पो0/प्रतिवादी की जाति कुम्हार है। जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि उक्त अंकन, दौराने भू प्रबन्ध परिवर्तित हुए हैं। हमारी दृष्टि में भू प्रबन्ध के अंकन क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण अवैध हैं। क्योंकि भू प्रबन्ध विभाग राजस्व अभिलेखों में अपने स्तर पर परिवर्तन करने के लिए सक्षम नही है। इसके अलावा अपीलाण्ट/वादी भी अधीनस्थ न्यायालय में, विवादित आराजी के पूर्व खातेदार लालाराम व दीपचन्द से स्वयं का संबंध स्पष्ट नहीं कर पाये हैं एवं ना ही उनके द्वारा कथित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र ही पेश किया गया है। अतः प्रथम दृष्टया हम निष्कर्ष पर पहुॅचते हैं कि वादी–प्रतिवादी, दोनों ही का विवादित आराजी के पूर्व खातेदार लालाराम व दीपचन्द से सम्बन्ध संन्दिग्ध है।

6. जहॉ तक अपीलाण्ट की अन्य आपत्तियों का प्रश्न है। हम पाते हैं कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0/प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम नहीं की जाकर पूर्व निर्धारित अग्रिम पेशी दिनांक 11.07.2016 से पूर्व ही दिनांक 05.07.2012 को प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर, अपीलाण्ट/वादीगण की गैर हाजरी में पारित किया गया है। विधि अनुसार जवाब दावा पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण में तनकियात कायम की जाकर, प्रत्येक तनकी पर कारण सहित अपना निष्कर्ष देते हुए निर्णय पारित करना चाहिए था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को कानूनसम्मत नही माना जा सकता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस प्रकरण को पुनः विधिवत विचारण हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा के निर्णय व डिक्री दिनांक क्रमशः 05.07.2012 व 05.07.2016 अपास्त किये जाते हैं एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठ भूमि में उभयपक्ष को अतिरिक्त साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए, पुनः तनकीवार तार्किक निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि, प्रकरण में यदि वादी–प्रतिवादी, दोनों, विवादित आराजी के पूर्व खातेदार लालाराम व दीपचन्द से स्वयं का संबंध साबित ना कर पायें, तो तहसीलदार राजाखेडा, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के तहत राजगामी सम्पत्ति अधिनियम के अंतर्गत परीक्षण करे एवं उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा सुनिश्चित करें कि तहसीलदार द्वारा इस क्रम में समुचित कार्यवाही की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 12.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official